महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ –226 007

वेब-साइट: www.upefa.com ई-मेल: upefaspo@gmail.com दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 2781128

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
मिशन प्रेरणा

प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक,
स्कूल शिक्षा, उ0प्र0
लखनऊ।

सेवा में,

श्री मनीष गर्ग,
संयुक्त सचिव,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

पत्रांक: रा0प0नि0 / /2021–22 / लखनऊ **दिनांक: 8 ~~फरवरी~~ मार्च, 2022**

विषय– **एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को नवीन यू–डायस कोड आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राज्य स्तर से विभिन्न वर्षों में मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के सम्बन्ध में नवीन यू–डायस कोड आवंटित किये जाने के अनुरोध अग्रसारित किये गये हैं। एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के अनुरोधों को भारत सरकार के स्तर से यह अंकित करते हुए वापस कर दिया गया है कि **"कृपया अपडेटेड मान्यता प्रमाण–पत्र अपलोड कर प्रेषित करें"।**

उक्त प्रेषित किये गये अनुरोधों में वास्तविक शैक्षिक संस्थाएं ही अग्रसारित की गयी हैं। प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग–6 के शासनादेश संख्या–419 / 79–6–2013–18(20) / 91 दिनांक 08 मई, 2013 (प्रति संलग्न) के बिन्दु– 15 में उल्लिखित निर्देश **"प्रथमदृष्टया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है"** के अनुसार मान्यता के सम्बन्ध में अपडेटेड प्रमाण–पत्र निर्गत करने का प्राविधान नहीं है। आगामी सत्र से मात्र पिछले एक वर्ष में मान्यता प्राप्त अथवा नवीन संचालित शासकीय संस्थाओं के यू–डायस कोड आवंटन हेतु ही अनुरोध पत्र प्रेषित एवं स्वीकृत किए जाएंगे। इस सम्बन्ध में समस्त जनपदों को निर्देश प्रेषित कर दिये गये हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि पूर्व के त्रुटिवश / समुचित प्रचार–प्रसार के अभाव में यू–डायस कोड आवंटन का अनुरोध न करने वाले विद्यालयों को राज्य स्तर से अग्रसारित अनुरोधों के क्रम में वर्तमान सत्र में यू–डायस कोड आवंटित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उक्तवत्

भवदीया,

(अनामिका सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक।

पृष्ठांकन: रा0प0नि0 / 5654 / 2021–22 / लखनऊ / तद्दिनांक
प्रतिलिपि:

1. जिलाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि आपके जनपद में संचालित समस्त पात्र शैक्षिक संस्थाओं के यू–डायस कोड के आवंटन की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
2. श्री सबा अख्तर, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (साइंटिस्ट–एफ)
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

(अनामिका सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक।

<u>**कार्यालयय–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा।**</u>

पत्रांक/9733-38 /2015–16 दिनांक– 19/1/2016

प्रबन्धक,
न्यू सेन्ट स्टीफन पब्लिक स्कूल यूनिट–3
फौजी गढ़ी, बरहन रोड, ऑवलखेड़ा
आगरा ।

विषय–मान्यता के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक मान्यता समिति की संस्तुति उपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक/मान्यता/अं0मा0/हि0मा0/13427–33/2014–15 दिनांक 16.03.2015 के द्वारा आपके विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम से नर्सरी से कक्षा–08 तक की अनंतिम मान्यता निर्गत की गयी है। आपके द्वारा दिनांक 29.12.2012 को कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया है कि कार्यालय से निर्गत मान्यता पत्र में विद्यालय का नाम न्यू सेन्ट स्टीफन पब्लिक स्कूल यूनिट–3फौजी गढ़ी, बरहन रोड, ऑवलखेड़ा आगरा के स्थान पर न्यू सेन्ट स्टीफन पब्लिक जू0हा0 स्कूल यूनिट–3फौजी गढ़ी, बरहन रोड, ऑवलखेड़ा आगरा अंकित कर दिया गया है, जबकि समस्त पत्रजातों में विद्यालय का नाम यू सेन्ट स्टीफन पब्लिक स्कूल यूनिट–3फौजी गढ़ी, बरहन रोड, ऑवलखेड़ा आगरा है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि लिपिकीय त्रुटिवश मान्यता पत्र में आपके विद्यालय का नाम न्यू सेन्ट स्टीफन पब्लिक स्कूल यूनिट–3 फौजी गढ़ी, बरहन रोड, ऑवलखेड़ा आगरा के स्थान पर न्यू सेन्ट स्टीफन पब्लिक जू0हा0 स्कूल यूनिट–3फौजी गढ़ी, बरहन रोड, ऑवलखेड़ा आगरा टंकित हो गया है, जिसे न्यू सेन्ट स्टीफन पब्लिक स्कूल यूनिट–3फौजी गढ़ी, बरहन रोड, ऑवलखेड़ा आगरा संशोधित किया जाता है।

(धर्मेन्द्र सक्सेना)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
आगरा।

<u>**पृ0स0 व दिनांक तदैव**</u>

प्रतिलिपि निम्नॉकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–शिक्षा निदेशक (बेसिक) महोदय उ0प्र0 निशातगंज–लखनऊ ।
2–सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद महोदय, इलाहाबाद।
3–अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0 इलाहाबाद।
4–मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), आगरा ।
5–संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
आगरा।

कार्यालय– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आगरा।

पत्राक / मान्यता / अं0मा0 / हि0मा0 / **13427–33** / 2014–15 दिनांक– 16.03.2015

प्रबन्धक,

न्यू सैन्ट स्टीफन पब्लिक स्कूल यूनिट–3

फौजी गढी, बरहन रोड, ऑवलखेडा, आगरा।

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए अंग्रेजी माध्यम का मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके दिनांक **29.08.2014** के आवेदन **न्यू सैन्ट स्टीफन पब्लिक जू0हा0स्कूल यूनिट–3, फौजी गढी, बरहन रोड़, ऑवलखेडा, आगरा** (विद्यालय का नाम,पते सहित) को दिनांक **01.04.2015 से दिनांक 31.03.2018** तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा **नर्सरी** से कक्षा **आठ** तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने के अध्याधीन हैः–

1– मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में **कक्षा 8** के पश्चात मान्यता / सबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2– विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधो का पालन करेगा।

3– विद्यालय कक्षा **1** में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के **25** प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4– पैरा 3 मे निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधरा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियॉ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5– सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6– विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

(1) प्रवेश दिए गये किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नही किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

(3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उतीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

(5) अधिनियम के अपबंध के अनुसार निःशक्तता प्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताए अर्जित करेंगे।

(7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है:और

(8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7– विद्यालय समुचित प्राधिकारी व्दारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8–विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार है:–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल – **11520 वर्ग मीटर**

कुल निर्मित क्षेत्र – **1704.67 वर्ग मीटर**

क्रीडा–स्थल का क्षेत्रफल – **9819.33 वर्ग मीटर**

कक्षाओं की संख्या – **13**

प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह भांडागार के लिए कक्ष – **01–01**

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय – **08–08**

पेयजल सुविधा – **समर सेबिल, पानी की टंकी नल सहित**

मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई – **01**

बाधारहित पहुंच – **खरन्जा**

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता – **है।**

9– विद्यालय के परिसरो के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

10– विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11– विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी व्दारा या तत्सयम प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12– स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13– विद्यायल के लेखों की किसी चार्टड आकाउण्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके व्दारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14– आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या **13427–33** है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्या का उल्लेख करें।

15– विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी व्दारा अपेक्षित हो और संमुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

16– सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

17– प्रत्येक कक्षानुभाग में प्रति छात्र 09 वर्ग फीट की दर से स्थान उपलब्ध होगा। प्रत्येक कक्षा–कक्ष में कम से कम 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होगी। यदि कक्षा–कक्ष के माप के अनुसार बच्चों का प्रवेश नहीं किया जाएगा अर्थात् अधिक बच्चे प्रवेश किए जायेगें तो मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जाएगी।

18– संलग्न उपबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

(ओउम्कार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
आगरा।

पृष्ठाकन संख्या/मान्यता/13427–33/2014–15 **तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 निशातगंज, लखनऊ।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0, इलाहाबाद।
3– अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक), शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 इलाहाबाद।
4– मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक),आगरा।
5– समाज कल्याण अधिकारी, आगरा।
6– सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी (ग्रामीण/नगर) जनपद आगरा।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
आगरा।